सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 960 राँची, सोमवार, 20 अग्रहायण, 1939 (श०)

11 दिसम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 अक्टूबर, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-1608, दिनांक 30 मई, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-4557, दिनांक 4 अगस्त, 2011; संकल्प सं०-7943, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011; पत्रांक-1763, दिनांक 23 फरवरी, 2013; पत्रांक-3209, दिनांक 12 अप्रैल, 2013; संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013; संकल्प सं०-1480, दिनांक 17 फरवरी, 2016; पत्रांक-9421, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-7689, दिनांक 4 जुलाई, 2017

3. जाति छानबीन समिति (Caste Scrutiny Committee) का पत्रांक-697, दिनांक 18 मई, 2017

संख्या-5/आरोप-1-701/2014 का.-10529-- श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-773/03, गृह जिला- धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेरमो, बोकारो सम्प्रति-संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित है:-

"श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से० गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 39वीं बैच की बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटि के अन्तर्गत चयनित हुए थे । उपायुक्त, धनबाद के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री आचार्य "कुम्हार" जाति के हैं, श्री आचार्य का जाति प्रमाण पत्र "लोहरा" अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्गत किया गया है, जो गलत है । यह झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमवाली के नियम-3(1)(i) का स्पष्ट उल्लंघन है ।"

2. प्रश्नगत् मामले की पृष्ठभूमि यह है कि श्री सूर्यमणि आचार्य जब अंचल अधिकारी, बेरमो, बोकारो के पद पर पदस्थापित थे तो उनके जाति के संबंध में एक परिवाद पत्र प्राप्त हुआ । परिवाद के अनुसार वे पिछड़ी जाति के सदस्य होने के बावजूद "लोहरा" अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित हुए हैं । उक्त आरोपों के संदर्भ में अनुवर्ती कार्रवाई के तहत् उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1608 दिनांक 30 मई, 2011 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०-459/94 गलत है ।

3. आरोपित पदाधिकारी श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से० के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-4557 दिनांक 4 अगस्त, 2011 तथा अनुवर्ती संकल्प सं०-7943 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में जाँच पदाधिकारी के समक्ष श्री आचार्य के द्वारा लिखित बचाव बयान एवं पूरक बचाव बयान में अपने को अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत "लोहरा" जाति होने के संबंध में कोई तथ्यगत् जानकारी/साक्ष्य नहीं दी गई है । श्री आचार्य ने अपना पक्ष न रखकर अन्य पदाधिकारियों पर दोषारोपण करने का प्रयत्न किया है । विभागीय कार्यवाही के संचालन में श्री सूर्यमणि आचार्य स्वयं को "लोहरा" जाति का सदस्य प्रमाणित करने में असफल रहे ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री सूर्यमणि आचार्य के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है । जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह रेखांकित किया गया है कि श्री आचार्य के जाति की जाँच करने के क्रम में उनके खानदानी संबद्धता के संबंध में पृच्छा करने पर उन्होंने अपने को अकेला घोषित किया तथा यह भी कहा कि उनका न तो कोई भी निकट संबंधी है, न ही कोई उनके समुदाय का है । उपायुक्त, धनबाद

के मंतव्य के अनुसार आरोपित पदाधिकारी के ''लोहरा'' जाति के होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ।

5. संचालन पदाधिकारी ने ''लोहरा'' जाति विशेष के कतिपय जाति गुणों के संबंध में निर्गत कार्मिक विभाग के पत्र सं०-7/जाति-01/04-355 दिनांक 19 जनवरी, 2006 का उल्लेख करते हुए कहा है कि आरोपित पदाधिकारी ने अपने को लोहरा जाति के होने का एक भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उन जातिगत् विशिष्ट गुणों को परिलक्षित करते हुए उनके दावों को सम्पुष्ट करता हो । आरोपित पदाधिकारी अपने को लोहरा जाति प्रमाणित करने के लिए जाति के सदस्य, संबंधी, कुटुम्बजन, समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथाओं संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं । ऐसे मामलों में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन-42011/22/06-स्थापना (आराक्षण) दिनांक 11 मार्च, 2007 के अनुसार इन आरोप के प्रमाणित होने पर संबंधित पदाधिकारी को सेवा से हटा देना या बर्खास्त कर देना चाहिए ।

समीक्षोपरान्त श्री आचार्य को विभागीय पत्रांक-1763 दिनांक 23 फरवरी, 2013 के माध्यम से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया । पुनः आरोपित पदाधिकारी के अनुरोध पर विभागीय पत्रांक-3209 दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक समयसीमा विस्तारित की गई, किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी श्री आचार्य के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया ।

6. श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से०, तदेन अंचलाधिकारी, बेरमो को सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(7) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013 द्वारा संकल्प की निर्गत तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया ।

7. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री आचार्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका (W.P.(S) No.1538/2013) दायर किया गया । मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित आदेश का Operative Part निम्नवत् है:-

"In such circumstances, not only the proceedings are vitiated but the consequential order of punishment based upon that is unsustainable in the eye of law as well as on facts. In view of the reasons discussed herein above, the impugned order of dismissal dated 4 July, 2013 (Annexure-19) of the petitioner is accordingly quashed. Accordingly, petitioner shall be reinstated in

service with consequential benefits. However, it is left open for the respondents to proceed afresh in the matter in accordance with law after giving due opportunity to the petitioner."

8. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अनुपालन में-

(क) विभागीय संकल्प सं०-6003, दिनांक 4 जुलाई, 2013 को निरस्त करते हुए श्री आचार्य को पुनः सरकारी सेवा में विभागीय संकल्प सं०-1480, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा सभी परिणामी लाभ (consequential benefits) के साथ शामिल किया गया ।

(ख) न्यायादेश के आलोक में श्री आचार्य के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक-9421, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा सचिव-सह-अध्यक्ष, Caste Scrutiny Committee, कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया । Caste Scrutiny Committee से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आचार्य के मामले में पुनः निर्णय लिया जायेगा ।

9. जाति छानबीन समिति (Caste Scrutiny Committee) के पत्रांक-697, दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । जाति छानबीन समिति ने अपने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध सभी अभिलेख/कागजातों का बारीकी से विश्लेषण किया गया एवं श्री आचार्य द्वारा बचाव बयान में समर्पित कागजातों का भी अवलोकन किया गया । कागजातों का परीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सभी अधिकृत पदाधिकारी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद, अंचल पदाधिकारी, धनबाद, अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद एवं उपायुक्त, धनबाद द्वारा अपने-अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री आचार्य जाति के कुम्हार हैं, जो पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आता है । अनुसूचित जनजाति (लोहरा) के रूप में निर्गत जाति प्रमाण पत्र गलत है । श्री आचार्य द्वारा जो भी कागजात प्रस्तुत किया गया है, वह अनुसूचित जनजाति के तहत् लोहरा जाति को सम्पुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इनके द्वारा कोई जीवित गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री आचार्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने पिता को पंडित लोहरा के नाम से भी जाने जाने का उल्लेख किया है, परन्तु प्रस्तुत किसी भी अन्य दस्तावेज में पंडित लोहरा का नाम उल्लेख नहीं है। श्री आचार्य के द्वारा माता मरियम सेवा संस्थान का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें Male Baby को जन्म देने वाली माता का नाम मुबुला देवी लोहरा एवं पिता श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित लोहरा, जिसमें Schedule Tribe होने का उल्लेख है, जबकि अन्य कागजातों एवं जाँच प्रतिवेदन में उनकी माता का नाम पुतुल देवी अंकित किया गया है । यह दस्तावेज भ्रम की

स्थिति उत्पन्न करता है । इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में श्री हरेन्द्र प्र० पंडित के जीवित होने एवं पटना में ईलाज कराने का प्रतिवेदन दर्ज है एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में जो दिनांक 10 फरवरी, 2011 को समर्पित है, में भी श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित से पूछताछ किये जाने का प्रतिवेदन अंकित है, जबकि श्री आचार्य के द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित का मृत्यु दिनांक 19 सितम्बर, 1998 को होना दर्ज है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है ।

सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री आचार्य पढ़ाई के दौरान कभी भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रवृति प्राप्त करने अथवा आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रयास नहीं किया गया और न ही पूर्व में कोई जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है । श्री आचार्य द्वारा सिर्फ 1994 में अर्थात सारी शैक्षणिक योग्यताएँ प्राप्त करने के पश्चात् ही जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है । सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रवृति सरीके आर्थिक मदद के लिए प्राप्त किये जाते हैं, परन्तु श्री आचार्य इन सब कार्यों के लिए पूर्व में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, यह स्थिति संदेह पैदा करता है । अपने पक्ष में प्रस्तुत कागजातों से स्पष्ट है कि श्री आचार्य को लोहरा जाति का गलत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया । इनको निर्गत करने का आधार ही उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1994 में निर्गत उक्त विवादित जाति प्रमाण पत्र को गलत इंगित करने के विरूद्ध श्री आचार्य कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं ।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि श्री आचार्य स्वयं को अनुसूचित जनजाति के तहत् लोहरा जाति होने को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं ।

10. विभागीय स्तर पर श्री आचार्य के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं जाति छानबीन समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-7689, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में श्री आचार्य के पत्रांक-2141, दिनांक 20 जुलाई, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

11. श्री आचार्य के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाति छानबीन समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री आचार्य ने द्वितीय कारण पृच्छा में भी अपने को आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य होने के तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं । अतः उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री आचार्य को झारखण्ड सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है ।

12. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2094, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री आचार्य को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।

13. तत्पश्चात् दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री सूर्यमणि आचार्य को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री सूर्यमणि आचार्य, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-773/03, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेरमो, बोकारो सम्प्रति-संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 960--50